उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संख्या–क0नि0–2–1343/ग्यारह–9(159)/15–उ0प्र0अधि0–30–2007–आदेश–(167)–2016
लखनऊ :: दिनांक :: 21 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है ;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) की धारा 13 के खण्ड (उनतालीस) के साथ पठित धारा 7 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड दादरी एवं एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड औरैया के गैस आधारित विद्युत गृहों/परियोजनाओं में, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–4/2/2015–टीएच–1 दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा जारी योजना के अधीन केवल बेस पी एल एफ से अधिक वृद्धिपरक विद्युत उत्पादन में उपयोग हेतु प्राकृतिक गैस के समस्त आपूर्तिकर्ता व्यापारियों को उनके स्थानीय क्षेत्र में, उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से प्रवेश पर दिनांक 22 मार्च, 2016 से दिनांक 31 मार्च, 2017 तक के लिये कर के संदाय से छूट प्रदान करते हैं।

एडि० कमि० (Law)

आज्ञा से,

(हरेन्द्र वीर सिंह)
विशेष सचिव।

SSO-1
21-09-2016

2436
21-9-16

JC(V)

ACT(V)
21-9-16

278(V)
21-9-16

JC(V)